न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज0)

बइजलास श्री सौरभ भाम्बु (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 127/2025/दावा/बउनवान/अजीत सिंह बनाम रामचरण वगै.
जीसीएमएस संख्या 2025/235

अजीत सिंह उम्र 47 वर्ष पुत्र श्री शिवराज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भावगढ़ तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0) मो.नं. 9828860617

.......वादी

बनाम

1. रामचरण उम्र 60 वर्ष पुत्र सीताराम जाति मीणा निवासी ग्राम भावगढ़ तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साबह तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

......प्रतिवादीगण

वाद वास्ते बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 183 ,188 आर.टी. एक्ट

वकील वादी : श्री मनोज कुमार गालव
वकील अप्रार्थी :–
दायरा दिनांक: 24.06.2025 निर्णय दिनांक : 20.04.2026

~ : निर्णय : ~

वादी / प्रार्थी निम्नलिखित निवेदन करता है :–

1. यह कि वादी ग्राम भावगढ़ का शांति प्रिय काश्तकार है, वादी के तन्हा खाते की आराजी वाके ग्राम भावगढ़ में खाता संख्या 85 में खसरा नंम्बर 143 रकबा 0.38 हैक्टर हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2075 से 2078 में दर्ज हैं। जिस पर वादी एवं उसके पूर्व वादी के नाना वर्षो से लगातार काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं।
2. यह कि प्रतिवादी/अप्रार्थी भी ग्राम भावगढ़ का अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति हैं, एवं वादी के ग्राम भावगढ़ की भूमि का समीपस्थ काश्तकार है। वादी की पश्चिम दिशा में वादी की मेड़ से लगवा प्रतिवादी रामचरण के खाते की आराजी खाता संख्या 77 खसरा नम्बर 406/144 रकबा 0.77 हैक्टर स्थित हैं, इस प्रकार वादी व रामचरण प्रतिवादी एक दूसरे की आराजी के वर्षों से मेड़ी है और वादी के पश्चिम दिशा में दोनों की भूमियां उत्तर से दक्षिण लम्बाई में समानान्तर हैं।
3. यह कि वादी का खेत उंचाई पर हैं एवं प्रतिवादी रामचरण का खेत पश्चिम दिशा में नीचा हैं प्रतिवादी धीरे – धीरे हर वर्ष वादी की मेड़ों का काटता है, ट्रेक्टर सीडल से हर साल वादी का खेत मेड काटकर अपने खेत में मिलाता जा रहा है। वादी के ऐतराज के बावजूद जबरन पश्चिम दिशा से करीब 5 मीटर चौड़ाई एवं 70 मीटर करीब चौड़ाई में 0.12 हैक्टर (पौन बीघा) जमीन पर 2 वर्षो के भीतर कब्जा कर लिया है और कब्जा

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

करता चला आ रहा है, वादी हाल रोजगार के लिये नगर कोटा में निवास कर रहा है और प्रतिवादी रामचरण हमेशा लड़ाई – झगड़ा पर आमादा हो जाता है और पैमाईश कराने के लिये कहता है और बाद में नपवा कर अपनी आराजी को छोड़ने के लिये कहता है वादी व उसका परिवार शांतिप्रिय व्यक्ति है और किसी प्रकार का वाद – विवाद नही चाहते थें।

4. यह कि प्रतिवादी क्रम 1 के मन में बदनियत हैं और लगातार वादी के खेत में मेड़ों को काटकर अपने खेत में मिला रहा है और वादी के खाते की भूमि खसरा नम्बर 143 रकबा 0.38 हैक्टर के आंशिक भाग को अपने खेत में मिलाकर जबरन बलपूर्वक पिछले वर्ष ट्यूबवैल भी करवा ली हैं, वादी ने प्रतिवादी क्रम 1 से मना किया कि तुम पैमाईश भी नहीं करवा रहे हो और मेरी भूमि में नलकूप भी लगवा लिया है किन्तु प्रतिवादी किसी की नही सुनकर लड़ाई – झगड़ा पर आमादा हो गया। अभी कुछ समय पूर्व प्रतिवादी रामचरण द्वारा वादी के खसरा नम्बर 143 रकबा 0.38 हैक्टर दक्षिणी हिस्से में नीवें खोदकर के भरवा ली है और बलपूर्वक जमीन से 4 – 5 फीट उपर प्लीन्थ लेवल तक आ चुकी हैं। प्रतिवादी क्रम 1 का दादागिरी पूर्ण रवैया है और आंशिक कब्जा करने के पश्चात सम्पूर्ण भूमि भी कब्जा कर सकता हैं।

5. यह कि वादी अपनी भूमियों की कई बार पमैाईश करवा चुका हैं, प्रतिवादी का कहना हैं " कि मेरी जमीन कम है, मैं तो यही पर ही काश्त करूंगा, जो तुम्हारी इच्छा हो कर लो" एवं लगातार लड़ाई – झगड़ा कर मारने काटने की धमकियां दे रहा हैं। वादी की उपरी भूमि पश्चिम दिशा से करीब पोन बीघा (0.12 है0) भूमि पर शनै – शनै कब्जा कर लिया है, प्रतिवादी किसी भी प्रकार से मानने को तैयार न होकर जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं। वाद पत्र के साथ राजस्व नक्शा , जमाबंदी व पैमाईश रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही हैं।

6. यह कि वादी सीधा – सादा गरीब व्यक्ति है प्रतिवादी से लड़ने – झगड़ने में असमर्थ है, वादी के पास मात्र खेती करके आजीविका का ही एक मात्र साधन है और इसी से अपने व अपने परिवार का पालन पोषण करता हैं प्रतिवादी लडाकु व झगडालू किस्म का व्यक्ति है, अपनी भूमियों की कमी को जबरन वादी की भूमि से पूर्ति करने पर आमादा हैं जबकि वादी बार – बार प्रतिवादी रामचरण से कह चुका हैं कि मेरी भूमि पर से अपना कब्जा हटा लो और हल्का पटवारी व कानूनगो ने भी पैमाईश करके तुम्हें तुम्हारी भूमि भी बता दी हैं। दिनांक 27/05/2025 को हल्का पटवारी द्वारा समीपवर्ती काश्तकार व रूबरू गवाहान पैमाईश भी की जा चुकी हैं, पटवार मण्डल बालुन्दा की सीमाज्ञान रिपोर्ट में भी भूमि की निशानदेही कर आंशिक भाग पर प्रतिवादी रामचरण का कब्जा होना बताया गया था।

7. यह कि प्रतिवादी क्रम – 1 कोई कानूनी अधिकारात वादी की कृषि भूमि में दखल अन्दाजी व बेजा मदाखलत करने का हासिल नही है तथा वादी जर्ये बेदखली डिक्री से बेदखल कराने का एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी व नालिशी है। क्योंकि वादग्रस्त आराजी वादी के खाते की आराजी है। प्रतिवादी क्रम 1 जबरन ताकत के बल पर बिना विधि पूर्वक किसी अधिकार के जबरन खसरा नम्बर 143 रकबा 0.38 हैक्टर पर अवैध कब्जा कर लिया है व अन्य भाग पर भी कब्जा करने एवं मकान निर्माण पर आमादा हैं। इसके लिए अविलम्ब अस्थायी निषेधाज्ञा व बेदखली की डिक्री पारित कराया जाना व जर्ये पुलिस इमदाद तहसीलदार मांगरोल की उपस्थिति में कब्ज दिलवाया जाना भी आवश्यक हो गया हैं तथा अवैध अतिचार कर किये गये निर्माण को भी अपने खर्चे पर

उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

निषेधाज्ञा से हटवाया जाना भी आवश्यक हो गया हैं। वादी को जमीन पर काश्त करने पर हाथ पैर तोड़कर जान से मारने की धमकी दे रखी हैं।

8. यह कि अप्रार्थी क्रम 2 को सर्वोच्च भूमि स्वामी एवं आवश्यक पक्षकार होने से बनाया गया है किसी प्रकार की रिलीफ नही चाही है। बेदखली की डिक्री की पालना भी प्रतिवादी नं. 2 के जर्ये ही करवायी जानी हैं।

9. यह कि वाद कारण दिनांक 09.06.2025 को खेत पर आकर जबरन खेत हांकने व पैमाइश को नही मानने पर उत्पन्न हुआ है, पैमाईश अनुसार वादी की पत्थरगढ़ी की जाने व जबरन कब्जा की गयी भूमि को वादी को पुनः संभलाने से मना करने पर प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

10. यह कि न्यायालय श्रीमान को वाद – पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त हैं।

11. यह कि वाद उचित न्याय शुल्क पर लगान के 50 गुना पर प्रस्तुत कर अवधि मध्य प्रस्तुत हैं।

अतः प्रर्थना है कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 निम्न आशय की डिक्री प्रसारित की करें

(अ) यह कि एक डिक्री प्रसारित करें कि आराजी खाता संख्या 85 वाके ग्राम भावगढ़ खसरा नम्बर 143 रकबा 0.38 हैक्टर के भाग पर से प्रतिवादी क्रम – 1 को बेदखल कर कब्जे को हटवाकर, प्रतिवादी क्रम 2 के जर्ये पुलिस इमदाद वादी को कब्जा दिलवाये जाने की डिक्री प्रसारित करें।

(ब) एक निषेधाज्ञा भी प्रसारित करें कि प्रतिवादी क्रम – 1 बलपूर्वक वादी की वाद ग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 143 ग्राम भावगढ़ पर पुनः कब्जा न करें, बेजा मदाखलत न करे, निकट भविष्य में भी किसी प्रकार का अवैध अतिचार न तो स्वयं करें न ही अपने विधिक प्रतिनिधि से करावें।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता हो तो वह भी वादी को प्रदान करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन् तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 बार – बार सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य पीडब्ल्यू – 1 अजीत सिंह , पीडब्ल्यू – 2 लोकेश के लिखित शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

वकील वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में निम्न साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श करवाऐ गयेः–प्रदर्श 1 :– नकल जमाबंदी संवत 2075 – 2078 ग्राम भावगढ़, प्रदर्श 2 :– नकल जमाबंदी संवत 2075 – 2078 ग्राम भावगढ़ प्रदर्श कराये गये। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों का अवलोकन कर चिंतन व मनन किया जाकर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज एवं बहस वकील वादी के आधार पर आराजी खाता संख्या 85 वाके ग्राम भावगढ़ खसरा नम्बर 143 रकबा 0.38 हैक्टर के भाग पर से प्रतिवादी क्रम – 1 को बेदखल कर ,कब्जे को हटवाकर, वादी को कब्जा दिलवाया जाना न्यायोचित हैं।

उपखण्ड अधिकारी मांगरोल (seal)

(सौरभ ...)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

:: क्रियात्मक आदेश ::

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर आराजी खाता संख्या 85 वाके ग्राम भावगढ़ खसरा नम्बर 143 रकबा 0.38 हैक्टर के भाग पर से प्रतिवादी क्रम – 1 को बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया जाता हैं कि आराजी खाता संख्या 85 वाके ग्राम भावगढ़ खसरा नम्बर 143 रकबा 0.38 हैक्टर का सीमाज्ञान वादी की उपस्थिति में करवाया जाकर वादी को कब्जा दिलवाया जावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। तदानुसार डिक्री जारी की जावें।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

सौरभ भाम्बू (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix "D"- 1)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मांगरोल मुकाम मांगरोल
न्यायालय बइजलास सौरभ भाम्बू **R.A.S** उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां (राज.)
प्रकरण संख्या :– 127 / 2025 / दावा / बउनवान / अजीत सिंह बनाम रामचरण वगै.
जीसीएमएस संख्या 2025 / 235
निर्णय दिनांक :– 20.04.2026

बउनवान

अजीत सिंह उम्र 47 वर्ष पुत्र श्री शिवराज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भावगढ़ तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0) मो.नं. 9828860617 ......वादी

बनाम

1. रामचरण उम्र 60 वर्ष पुत्र सीताराम जाति मीणा निवासी ग्राम भावगढ़ तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साबह तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

......प्रतिवादीगण

वाद वास्ते बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 183 ,188 आर.टी. एक्ट

वकील वादी : श्री मनोज कुमार गालव
वकील अप्रार्थी :–

वकील वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.04.2026 को सौरभ भाम्बू (आर.ए.एस.) पीठासीन अधिकारी के समक्ष वास्ते घोषणा पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है कि आराजी खाता संख्या 85 वाके ग्राम भावगढ़ खसरा नम्बर 143 रकबा 0.38 हैक्टर के भाग पर से प्रतिवादी क्रम – 1 को बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया जाता हैं कि आराजी खाता संख्या 85 वाके ग्राम भावगढ़ खसरा नम्बर 143 रकबा 0.38 हैक्टर का सीमाज्ञान वादी की उपस्थिति में करवाया जाकर वादी को कब्जा दिलवाया जावें। तदानुसार डिक्री जारी की जाती है।

यह आदेश आज दिनांक 20.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिये गये।

सौरभ भाम्बू (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्पअर्जीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुकमनामा			बबत इजराय हुकमनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सौरभ भाम्बू (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल